रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2002/फाल्गुन 22, 1923

No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2002/PHALGUNA 22, 1923

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2002

सा.का.नि. 206(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30क के साथ पठित धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता और सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये 1 जुलाई 1997 से प्रवृत हुए समझे जाएंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता और सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 6 के उपनियम (3) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतुक इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2001 के प्रारंभ होने पर नकदीकृत छुट्टी की मात्रा 300 दिन से अधिक नहीं होगी"।

[सं. 94/टीसी (आर सी टी) I-11]

पदमाक्षी रहेजा, कार्यपालक निदेशक, लोक शिकायत

पाद टिप्पण.—मूल नियम तारीख 19 सितम्बर, 1989 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 726 (अ) तारीख 6-12-91, सा.का.नि. 185 (अ) तारीख 11-4-96, सा.का.नि. 436 (अ) तारीख 26-9-96, सा.का.नि. 563 (अ) तारीख 7-9-98, सा.का.नि. 96 (अ) तारीख 10-2-99, और सा.का.नि. 835 (अ) तारीख 30-12-99 द्वारा संशोधित किए गए।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेल दावा अधिकरण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य 1 जुलाई, 1997 से 300 दिनों की छुट्टियों के नकदीकृत के पात्र होंगे। रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता और सेवा की शर्तें) नियम, 1989 की दृष्टि से इस को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2002

G.S.R. 206(E).—In exercise of the powers conferred to clause (b) of sub-section (2) of Section 30, read with section 30A of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 1997.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 6, in sub-rule (3), for the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and proviso to sub-rule (2) of rule 5 shall, on the commencement of the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2001, not exceed 300 days."

[No. 94/TC(RCT) I-11]

PADMAKSHI RAHEJA, Executive Director, Public Grievances,

Foot Note.—The Principal rules were published vide Notification number G.S.R. 844 (E) dated 19th September, 1989 and subsequently by G.S.R. 726 (E) dated 6th December, 1991, G.S.R. 185 (E) dated 11th April, 1996, G.S.R. 436 (E) dated 26th September, 1996, G.S.R. 563 (E) dated 7th September, 1998, G.S.R. 96 (E) dated 10th February, 1999, and G.S.R. 835 (E) dated 30th December, 1999.

Explanatory Memorandum

The Chairman, Vice-Chairman and Members of Railway Claims Tribunal are entitled for leave encashment of 300 days from 1st July, 1997. In view of this the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 are being amended retrospectively. It is certified that by giving this retrospective effect nobody's interest will be adversely affected.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.